<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)</u>

प्रकरण संख्या– 34 / 2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांकः–17.06.2021

1. नानीबाई पत्नि मोहनलाल जाति मेघवाल़ आयु व्यस्क निवासी लुणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. गीताबाई पत्नि हीरालाल जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी लुणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. हीरालाल पुत्र लखमीचन्द जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी लुणखन्दा तह0 .निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. देवीलाल पिता प्रभुलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी लुणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
4. नानीबाई पत्नी सदा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी लुणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

– विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्राथीया खातेदारी की आराजियात वाके मौजा एकलिंगपुरा प0ह0 मैलाना तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 107 की आराजी नं0 460 / 45 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्राथीया की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीया एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400 /– रू. फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा एकलिंगपुरा प0ह0 मैलाना तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 107 की आराजी नं0 460 / 45 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीया से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड़ अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official